

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रशासन गांवों के संग जमियान-2021

कैस- 6544

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

द्वारा आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 53 RTA के नम्बर 24/ सन् 2021

तारीख हुकम	DCMS: 2021/ हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
------------	--	---

04.10.2021

वाडीगड द्वारा - सतपाल पुत्र श्री लक्ष्मीराम जाति कुम्हार
मिवाली 7 JKM तह- रायसिंहनगर में वाड फर पेश किया
वाडीगड ने निवेदन किया कि आर जिन को जहासु
गांवों के संग प्रशासन के सिविल जगरी में व
आपसी लक्ष्मीराम से खुद की खाताये भूमि में संयुक्त
खाता में दर्ज है का विभाजन करवाना चाहते हैं।
वाडीगड ने वाड-फर के साथ लक्ष्मीराम पुत्र एवं पत्नी
हल्का की गैरकब्जा की रिपोर्ट पेश की है। वाडीगड ने
निवेदन किया कि यह 7 जकेर तहसील रायसिंहनगर
के खाता सं. 105 में दर्ज मु.नं. 15 फ. नं. 18/82 के कि.नं.
13/2 ता 25 की कुल 2.15 है. आ. क. भूमि वाडीगड
द्वारा - सतपाल पुत्र लक्ष्मीराम पुत्र 1/2 हिस्सा
खाता दर्ज किया है जिसका वे आपसी लक्ष्मीराम से
विभाजन किस्म डकार करवाना चाहते हैं -

1. द्वारा 50 लक्ष्मीराम :- यह 7 JKM के मु.नं. 15 के
कि.नं. $\frac{13/2}{0.127}$, $\frac{14/2}{0.126}$, $\frac{15/2}{0.084}$, $\frac{18}{0.253}$, $\frac{19}{0.127}$, $\frac{21}{0.26}$, $\frac{23}{0.253}$
कुल 1.076 है = अनकमाउ भूमि
2. सतपाल 50 लक्ष्मीराम :- यह 7 JKM के मु.नं. 15 के
कि.नं. $\frac{15/2}{0.063}$, $\frac{16}{0.253}$, $\frac{17}{0.253}$, $\frac{24}{0.253}$, $\frac{25}{0.253}$ कुल
1.075 है = अनकमाउ भूमि

वाडीगड ने इस आजात खेदारनाम 1000
द्वारा-फर पर भी प्रस्तुत किया है।
वाड-फर दर्ज रजिस्टर है। यंकि
विवादित भूमि वाडीगड श्री संयुक्त खाता में खाताये
भूमि है। जिसके वे खाता विभाजन करवाने के अधिकारी
हैं तथा पञ्जाब वाडी आपसी लक्ष्मीराम से विभाजन
19.9.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

सतपाल
द्वारा
विमला
(विमला देवी गिल्ला)
सरपंच
ग्राम पंचायत 6 J.K.M.
पंचायत समिति रायसिंहनगर



तारीख हुकम

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम
अहकाम
हुकम को
में जारी
हू

करवाना चाहते हैं। अता पञ्च वाडीगड के आपसी
जुधमति/राजीनामा आधारे पर वाड-पड वाडीगड
जुधमति किया जाता है तथा विवादित भूमि पक 75KM
तहसील राजसिंहनगर की जमाखंडी तपत 2023-2026
खाता नं. 185/93 में डी.प.नं. 181/382 मु.नं. 15 की
कुल 2.151 है. वाडीगड की कुमुता खाता की खातदारी
भूमि का वाडीगड के मध्य आपसी जुधमति अनुसार
निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है -

1. हजाराम 50 सदीराम जाति कुम्हार निवासी 75KM :-

"पक 75KM तह. राजसिंहनगर के प.नं. 181 मु.नं. 15
के डि.नं. $\frac{13}{2}$, $\frac{14}{2}$, $\frac{15}{2}$, 18, $\frac{19}{1}$, $\frac{20}{1}$, $\frac{23}{1}$
 0.127 , 0.126 , 0.064 , 0.253 , 0.127 , 0.126 , 0.253
कुल 1.076 है = जनकमान्ड भूमि खातदार"

2. सतपाल 50 सदीराम जाति कुम्हार निवासी 65KM :-

"पक 75KM तह. राजसिंहनगर के प.नं. 181 मु.नं. 15
के डि.नं. $\frac{15}{2}$, 16, 17, 24, 25
 0.063 , 0.253 , 0.253 , 0.253 , 0.253 कुल
1.075 है = जनकमान्ड भूमि खातदार"

इसी आशय की फ्या डिडी जारी है।

वाडीगड स्टाम्प इष्टुये पैरा करें।

निर्दिष्ट मी बारा आज दिनांक 05.10.2021 को मजमा-

ए-आफ में हुमाजा गया।

फावली जलिली में शुमार घेतल हाखिल फाएल है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

नम्बर
अटकाम,
हयम की ता
नाशी डए

प्रासन गांवों के संग अभियान-2021

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)
परिशिष्ट घ संख्यांक-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी आरएएस कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत 6 जेकेएम

प्र.सं. 241/2021

जीसीएमएस : 2021/

1. दयाराम पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. सतपाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 6 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार

-प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक:-04.10.2021

वादीगण की उपस्थिति में इस वाद के आज अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- वादीगण के आपसी सहमति/राजीनामा आधार पर वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि चक 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत् 2073-2076 का खाता सं. 105/93 में दर्ज मु.नं. 15 प.नं. 181/382 की कुल 2.151 है. वादीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि का वादीगण के मध्य आपसी सहमति अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है -

1. दयाराम पुत्र सहीराम(वादी सं. 1) :- चक 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 181/382 मु.नं. 15 के कि.नं. 13/2 में 0.127, 14/2 में 0.126, 15/2 में 0.064, 18 में 0.253, 19/1 में 0.127, 22/1 में 0.126, 23 में 0.253 कुल 1.076 है. अनकमाण्ड भूमि खातेदार
2. सतपाल पुत्र सहीराम(वादी सं. 2) :- चक 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 181/382 मु.नं. 15 के कि.नं. 15/2 में 0.063, 16-17-24-25 प्रत्येक 0.253 है. कुल 1.075 है. अनकमाण्ड भूमि खातेदार

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
8. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		7. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
9. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8. अर्जी के लिए स्टाम्प	
10. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		9. प्लीडर की फीस	
11.रूपये पर प्लीडर की फीस		10. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
12. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		11. आदेशिका की तामील	
13. कमिश्नर की फीस		12. कमिश्नर की फीस	
14. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	